

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2307
उत्तर देने की तारीख 04.08.2025

10वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक

2307. श्री बसवराज बोम्मई :

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार :

श्री आलोक शर्मा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ब्राज़ील में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने 10वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अपनाए गए संयुक्त घोषणापत्र को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के बाद भागीदार देशों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों या बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बैठक के दौरान हुई चर्चा के अनुसार जलवायु अनुकूलन तथा सतत विकास रणनीतियों में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक धरोहरों को एकीकृत करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है और यदि हाँ, तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं;
- (ङ.) यदि हां, तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सांस्कृतिक केन्द्र बनाने और राष्ट्रीय और राज्य स्तर सहित इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या महत्वपूर्ण नीति बनाई गई या संस्थागत उपाय किए गए हैं; और
- (च) क्या ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग पहलों के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र स्थापित किए गए हैं और यदि हाँ, तो ऐसे तंत्रों की संरचना और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 26 मई, 2025 को ब्रासीलिया, ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की दसवीं बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक (सीएमएम) में अपनाया गया घोषणा पत्र **अनुलग्नक** में दिया गया है।
- (ख): ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आपसी समझ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य सहयोगात्मक पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक के घोषणा पत्र को अपनाते हुए, भारत, कलाओं, संग्रहालय एवं दीर्घाओं, सांस्कृतिक धरोहर, अभिलेखागारों, साहित्य, कठपुतली कला, विभिन्न कला रूपों और नृत्य रूपों, रंगमंच आदि के क्षेत्रों में सहयोग/आदान-प्रदान के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति, धरोहर संरक्षण और जन-जन के बीच आदान-प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है।
- (ग): ब्रासीलिया, ब्राज़ील में 26 मई, 2025 को आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक में हुई चर्चा के पश्चात किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तथापि, माननीय संस्कृति मंत्री ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ-साथ ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया। भारत सभी ब्रिक्स देशों के साथ संग्रहालयों, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालयों, कला दीर्घाओं आदि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंध बनाए रखता है।
- (घ) और (ड.): भारत स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक पद्धतियों को समकालीन जलवायु कार्यनीतियों में एकीकृत करते हुए जलवायु अनुकूलन ढांचे में संस्कृति के एकीकरण का समर्थन करता है जिससे स्थायी, कम दुष्प्रभावी समाधान खोजे जा सकेंगे, जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी बेहतर बनाया गया है- स्वदेशी जल प्रबंधन प्रणालियों और जलवायु के प्रति संवेदनशील स्थानीय वास्तुकला से लेकर पर्यावरण अनुकूल कारीगरी शिल्प तक। मिशन 'लाइफ' अर्थात् पर्यावरण हेतु जीवन शैली इस तथ्य को मान्यता देती है कि भारतीय संस्कृति और जीवंत परंपराएं स्वाभाविक रूप से संपोषणीय हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के महत्व पर बल दिया गया है। 'लाइफ' का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के एक वैश्विक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है।
- (च): ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक प्लैटफॉर्म के अंतर्गत रंगमंच, संग्रहालय, नृत्य एवं पुस्तकालय के क्षेत्र में सहयोग हेतु बच्चों और युवाओं के लिए थियेटर का ब्रिक्स गठबंधन, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का ब्रिक्स गठबंधन, लोक नृत्य गठबंधन के अंतर्गत ब्रिक्स लोक नृत्य महोत्सव, पुस्तकालयों का ब्रिक्स गठबंधन और संग्रहालयों का ब्रिक्स गठबंधन जैसे विभिन्न गठबंधन किए गए हैं। इन गठबंधनों में यथा परिकल्पित कार्यकलापों का संचालन गठबंधन में निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्रिक्स देशों की चक्रानुक्रम प्रेसिडेंसियों द्वारा किया जाता है। यह सतत और जारी प्रक्रिया है।

“10वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक” के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2307 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दसवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की घोषणा

प्रस्तावना

हम, ब्रिक्स संस्कृति मंत्री, ब्राज़ील संघीय गणराज्य की अध्यक्षता में, "अधिक समावेशी और सतत अभिशासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना" विषय पर, अपनी सांस्कृतिक सहयोग कार्यसूची में और प्रगति करने के लिए 26 मई 2025 को ब्रासीलिया शहर में बैठक की :

ब्रिक्स सहयोग के अंतर्गत सर्वसम्मति, पारस्परिक सम्मान और समझ, खुलेपन, एकजुटता और संप्रभु समानता की ब्रिक्स भावना का पालन करते हुए;

दिनांक 9 जुलाई, 2015 को संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स देशों की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते और 24 मई 2022 को हस्ताक्षरित समझौते के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना 2022-2026 तथा मारोपेंग घोषणा-2018: कुरितिबा घोषणा-2019: मॉस्को घोषणा-2020 नई दिल्ली घोषणा-2021; बीजिंग घोषणा-2022; म्पुमलंगा घोषणा-2023; और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा-2024 के तहत प्रतिबद्धताओं का स्मरण करते हुए;

एक सुदृढ़ बहुपक्षवाद के मार्ग के रूप में संवर्धित सहयोग, संवाद और समझ की आवश्यकता पर बल देते हुए, ब्रिक्स सदस्यों और वैश्विक दक्षिण देशों की सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास दृष्टिकोणों की बहुलता को स्वीकार करते हुए, जो एक अधिक स्थायी विश्व के पक्षधर हैं, और वैश्विक अभिशासन में वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोणों को महत्व देते हुए;

संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने, विरासत, नवाचार और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व देने, लोगों के बीच संयुक्त रूप से सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयासों का आह्वान करते हुए;

रचनात्मकता, नवाचार, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर सतत विकास के एक प्रमुख प्रवर्तक और चालक के रूप में संस्कृति की शक्ति को मान्यता देना:

समाजों के विकास के लिए संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य पर प्रकाश डालते हुए, डिजिटल वातावरण में कृत्रिम मेधा (एआई) उपकरणों सहित आईसीटी के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए और अवसरों पर विचार करते हुए;

सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों में वापस करने से समाजों और देशों पर पड़ने वाले व्यापक सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने और अपनी सांस्कृतिक विरासत तक पहुँच बनाने के सभी के अधिकार का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस संबंध में सभी उपाय करने की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए;

इंडोनेशिया को शामिल करके और भागीदार देशों की श्रेणी की स्थापना करके ब्रिक्स परिवार के विस्तार का स्वागत करते हुए, जो वैश्विक दक्षिण को शांति और साझा समृद्धि के लिए एक मज़बूत गठबंधन बनाने में सक्षम बनाता है;

नए ब्रिक्स सदस्यों को 9 जुलाई 2015 को ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग समझौते में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए;

हम निम्नलिखित के माध्यम से अपने सहयोग को और मज़बूत करने का संकल्प लेते हैं:

1. संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, कॉपीराइट और कृत्रिम मेधा (एआई)

- 1.1 सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों और उद्योगों के बढ़ते आर्थिक महत्व और आय, अच्छे रोज़गार, रचनात्मक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देकर समग्र अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देते हैं;
- 1.2 संस्कृति संबंधी ब्रिक्स कार्य समूह के अंतर्गत सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर एक ब्रिक्स मंच स्थापित करने पर सहमत हैं; और सदस्यों, उनकी संबंधित सांस्कृतिक संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों, के साथ-साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को, अपने अधिदेश के अनुसार, ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन और बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने, सांस्कृतिक सामग्री के प्रसार का विस्तार करने, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- 1.3 रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मापने के लिए मान्यता प्राप्त वैश्विक मानकों और संकेतकों के आधार पर, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय सांख्यिकीय संरचना बनाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना;
- 1.4 सभी की भलाई के लिए एक नैतिक, सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी, भरोसेमंद, विकासोन्मुख, न्यायसंगत, पारदर्शी कृत्रिम मेधा की आवश्यकता की पुष्टि करना, जो राष्ट्रीय

कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें संप्रभुता, मानवाधिकार और सभी महिलाओं व लड़कियों का सशक्तिकरण, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत, उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, का सम्मान करे;

- 1.5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के माइनिंग, प्रशिक्षण और विकास में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों द्वारा संरक्षित सामग्री के उपयोग के लिए पारिश्रमिक या लाइसेंस देने पर ब्रिक्स देशों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल देना;
- 1.6 डिजिटल परिवेश में एक स्थायी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता की पुष्टि करना जो रचनाकारों, कलाकारों, लेखकों और अन्य अधिकार धारकों को प्रभावी ढंग से समर्थन और उचित पारिश्रमिक प्रदान करे, साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखे, जिससे एक सुलभ, समावेशी और भेदभावरहित डिजिटल परिवेश संभव हो, तथा कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की भी रक्षा हो;
- 1.7 डिजिटल परिवेश में बहुभाषावाद का समर्थन करना और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने, बढ़ावा देने, संरक्षित करने और परिरक्षित करने के लिए बड़े भाषा मॉडलों में उपयोग किए जाने वाले सभी मॉडलों सहित एआई मॉडलों के प्रशिक्षण डेटासेट की आवश्यकता की पुष्टि करना;
- 1.8 पुस्तकालयों, अभिलेखीय भण्डारों और उच्च शिक्षा संस्थानों आदि में दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा, संवर्धन और परिरक्षण के लिए सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

2. संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और 2030 के बाद का विकास एजेंडा

- 2.1 वर्ष 2022 के यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक नीति और सतत विकास सम्मेलन (मॉडियाकल्ट) के अनुरूप, भविष्य में वर्ष 2030 के बाद के विकास एजेंडे में संस्कृति को एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में शामिल करने के समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना;
- 2.2. 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप28) में वैश्विक जलवायु समुत्थानशक्ति के लिए यूएई फ्रेमवर्क के अनुरूप, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार करना; और जलवायु परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र की क्षमता पर विचार करना;

- 2.3 जलवायु के लिए प्रयासों में संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखने के संबंध में समर्थन करने में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए संस्कृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के मित्र समूह (जीएफसीबीसीए) के प्रयासों पर ध्यान देना;
- 2.4 ब्रिक्स देशों के बीच निम्नलिखित कार्यों के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना: (i) सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए अनुकूली रणनीतियाँ विकसित करके और पारंपरिक ज्ञान, स्वदेशी लोगों के ज्ञान और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा निर्देशित जलवायु-समुत्थानशील बुनियादी ढाँचे को डिज़ाइन करके, जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रभावों से सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करना; (ii) समाज के सभी स्तरों पर स्थायी प्रथाओं, समुत्थानशील और जलवायु-परिवर्तन के प्रति संवेदनशील व्यवहार को प्रोत्साहित करने में सांस्कृतिक क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करना।
- 2.5 यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत की पुष्टि करना और सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, हम विकसित देशों से विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्त प्रदान करने और उसे जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह करते हैं:
- 2.6 पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरक्षण को मज़बूत करने का आह्वान और डब्ल्यूआईपीओ में चल रही चर्चाओं पर ध्यान देना।

3. सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और सुरक्षा

- 3.1 सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक न्याय, मेल-मिलाप और सामूहिक स्मृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान संचरण को मज़बूत करने, ऐतिहासिक निरंतरता की रक्षा करने और देशों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देने के मार्ग के रूप में सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों को वापस करने के महत्व की पुष्टि करना;
- 3.2 सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के साथ-साथ संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से अपने समुदाय की सांस्कृतिक विरासत तक पहुँच के सभी के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करना;
- 3.3 सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों को वापस करने के महत्व और गैर-पदानुक्रमित, सहकारी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण की इसकी क्षमता को स्वीकार करना; और हम इस मामले पर एक अधिक मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं;

- 3.4 सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी के विषय में अनुभवों, राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, कानूनों और सफल मामलों को साझा करके, विरासत की शिक्षा और संग्रहालय की शिक्षा को बढ़ावा देकर, सरकारी अधिकारियों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करके, तथा इस क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुपक्षीय संगठनों में प्राथमिकताओं और नीतियों के बीच तालमेल बनाकर सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना;
- 3.5 सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों की एक बैठक के आयोजन का समर्थन करने के ब्राज़ील के निर्णय का स्वागत करना, ताकि इस विषय पर शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और सिविल सोसाइटी के बीच बढ़ते संवाद की नींव रखी जा सके।

4. ब्रिक्स महोत्सव और गठबंधन

- 4.1 दूसरे सेमेस्टर में ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, एक ऐसा आयोजन जो ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करेगा, संवाद, सम्मान और समझ को बढ़ावा देगा तथा फिल्म क्षेत्र के लिए व्यापार और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करेगा, की मेजबानी करने के ब्राज़ील के निर्णय का स्वागत करना।
- 4.2 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत कार्यक्रमों के एक कैलेंडर के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- 4.3 ब्रिक्स सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा आशय पत्रों पर हस्ताक्षर के माध्यम से, सभी ब्रिक्स देशों को मौजूदा ब्रिक्स गठबंधनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, जिनमें संग्रहालयों का गठबंधन, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का गठबंधन, पुस्तकालयों का गठबंधन, बच्चों और युवाओं के लिए रंगमंच का गठबंधन, लोक नृत्य का गठबंधन और फिल्म स्कूलों का गठबंधन शामिल हैं।
- 4.4. ब्रिक्स सदस्यों को उनके ऐतिहासिक अतीत और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और मौलिक मानवाधिकारों की मान्यता में अब तक की गई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में शिक्षित करने वाली आभासी प्रदर्शनियाँ विकसित करके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालयों के गठबंधन, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं के गठबंधन और पुस्तकालयों के गठबंधन का उपयोग करने पर विचार करना।
